न्यायालय– अपर सेशन न्यायाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)

वि०फौज० (जमानत)प्रकरण सं०:-		106/2026
CIS No.	-	106/2026
CNR No.	-	RJSG110002362026

योगराज पुत्र कैलाशराम, निवासी गुरू हरसहाय, तहसील व जिला फिरोजपुर (पंजाब)।

–प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से	– विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील बिश्नोई।
राज्य की ओर से	– विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री संजय सोढा।

पीठासीन अधिकारीः–   मोहम्मद आसिफ अंसारी , RJS
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

आदेश

दिनांक :–28.03.2026

01. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जरिये अधिवक्ता धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(BNSS) के तहत यह अग्रिम जमानत आवेदन पुलिस थाना सूरतगढ़ सदर, जिला श्रीगंगानगर की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 136/2025, अंतर्गत धारा 8/21, 25 एन डी पी एस एक्ट के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाने पर जमानत आवेदन की एक प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलवाई जाकर आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। जमानत आवेदन से संबंधित केस डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट के पेश हुई ।

02. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 27.04.2025 को नगेन्द्र सिंह उ0 नि0 कार्यवाहक थानाधिकारी पुलिस थाना सूरतगढ़ सदर मय जाब्ता गश्त करता हुआ वक्त 2.25 पीएम पर एसजीएम नहर के पटड़ा नजद भगवानसर पहुंचा तो पटड़ा पर एक स्विफ्ट कार बरंग सफेद खड़ी दिखाई दी, जो पुलिस वाहन व पुलिस पार्टी को आता देख कार को स्टार्ट कर भगाने की कोशिश करने लगा। कार चालक की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होने पर शक के आधार पर तुरंत कार का पीछा कर रुकवाया गया तो कार में दो व्यक्ति सवार हैं एवं दोनों ही व्यक्ति घबराये हुए हैं। कार चालक से

पुलिस पार्टी व सरकारी गाड़ी को देखकर कार को भगाने का कारण पूछा तो कभी कुछ कभी कुछ बताने लगे। डिटेनशुदा कार चालक से नाम पता पूछा तो कार चालक ने अपना नाम संदीप सिंह निवासी वार्ड नं. 39 सूरतगढ़ व परिचालक सीट पर बैठे शख्स ने अपना नाम सुरेश कुमार निवासी वार्ड नं. 22 स्वामी विवेकानंद चौक के पास सूरतगढ़ होना बताया। कार में सवार दोनों शख्सों को कार से नीचे उतारकर यथास्थिति खड़ा रहने की हिदायत की गई। सर्वप्रथम दोनों शख्सों की जैर सवारी वाहन स्विफ्ट कार नंबर आरजे 41 सीए 7172 की तलाशी ली गई तो कार के गेयर बॉक्स के पास एक प्लास्टिक पारदर्शी थैली मिली जिसके गांठ लगी हुई है, जिसमें भूरे रंग का छोटे–छोटे डलीनूमा पदार्थ भरा हुआ है। थानाधिकारी व साथी मुलाजमान द्वारा देखा व सूंघा गया तो सभी ने अपने–अपने अनुभव एवं प्रशिक्षण के आधार पर पारदर्शी थैली में स्मैक(चिट्टा) होना बताया एवं दोनों से पूछने पर पारदर्शी थैली में भरा डलीनूमा पदार्थ को स्मैक(चिट्टा) होना बताया। वक्त 3.10 पीएम पर फर्द पहचान अवैध मादक पदार्थ स्मैक(चिट्टा) तैयार की गई। संदीप व सुरेश से स्मैक(चिट्टा) को अपने कब्जा में रखकर परिवहन करने बाबत लाइसेंस/परमिट बाबत पूछा गया तो नहीं होना बताया। जुर्म धारा 8/21, 25 एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। दोनों के कब्जे में मिले अवैध मादक पदार्थ स्मैक(चिट्टा) किससे खरीद किया है, बाबत पूछा गया तो संदीप सिंह ने बताया कि मैं व मेरा साथी सुरेश कुमार दोनों स्मैक(चिट्टा) का नशा करने के आदी है। सुरेश कुमार ने मुझे कहा कि मेरा फिरोजपुर के पास एक जानकार है जिससे मैं पहले कई बार स्मैक लेकर आया था जिसने अपना नाम मुझे कभी नहीं बताया। मैं व मेरा साथी सुरेश कुमार दोनों कल दिनांक 26.04.2025 को मेरी स्विफ्ट कार लेकर फिरोजपुर गए थे। फिरोजपुर से थोड़ा पहले सुरेश कुमार के जानकार से कुल 37 ग्राम स्मैक(चिट्टा) खरीदकर लाये थे, जिसके हमने 75 हजार रुपये नकदी उसे दिए थे। सुरेश कुमार के जानकार से सुरेश कुमार की व्हाट्सएप कॉल से बात होती है। उक्त स्मैक(चिट्टा) खरीद करने के बाद कुछ तो मैंने व मेरे साथी सुरेश कुमार ने स्वयं पी लिया व बाकि स्मैक(चिट्टा) लेकर आज हम दोनों 07 एसजीएम भट्ठों पर व सरदारगढ़ की तरफ नशा करने वाले लड़कों को बेचने के लिए जा रहे थे। जिस पर संदीप सिंह की पूछताछ रिपोर्ट धारा 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत तैयार की गई। शख्स सुरेश कुमार ने बताया कि मैं व मेरा साथी संदीप सिंह स्मैक(चिट्टा)पीने के आदी हैं। मैं पहले कई बार फिरोजपुर के पास

एक व्यक्ति से स्मैक(चिट्टा) खरीद कर लाया था जिसका नाम पता मैं नहीं जानता हूं व ना ही उसने अपना नाम मुझे कभी बताया, केवल व्हाट्सएप कॉल से बात करता हूं व हर बार अलग–अलग जगह आकर स्मैक देता है। कल दिनांक 26.04.2025 को मैं व मेरा साथी संदीप सिंह दोनों संदीप सिंह की स्विफ्ट कार लेकर फिरोजपुर गए थे। फिरोजपुर से थोड़ा पहले हमें मेरा जानकार मिला था जिससे हम दोनों ने कुल 37 ग्राम स्मैक(चिट्टा) 75 हजार रुपये में खरीद किया था। जिसके हमने रुपये नकद दिए थे। मेरे जानकार से स्मैक(चिट्टा) खरीद करने के संबंध में मेरे मोबाइल नंबर 7297814445 से उसके मोबाइल नंबर 9592713961 पर व्हाट्सएप कॉल से बात होती है, मैं व्हाट्सएप कॉल से बात करने के बाद व्हाट्सएप कॉल डिलीट कर देता हूं। उक्त स्मैक(चिट्टा) खरीद करने के बाद कुछ तो मैंने व मेरे साथी संदीप सिंह ने स्वयं पी लिया व बाकि लेकर आज हम दोनों 07 एसजीएम भट्ठों पर व सरदारगढ़ की तरफ नशा करने वाले लड़कों को बेचने के लिए जा रहे थे। वक्त 3.25 पीएम पर सुरेश कुमार की पूछताछ रिपोर्ट धारा 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत तैयार की गई। कार के अंदर मिली पारदर्शी प्लास्टिक थैली को कब्जा पुलिस में लिया जाकर अवैध स्मैक(चिट्टा) का वजन किया गया तो अवैध स्मैक(चिट्टा) का पारदर्शी थैली सहित कुल वजन 35 ग्राम हुआ। जिसे उसी पारदर्शी थैली में रहने दिया जाकर थैली के मुंह पर गांठ लगाकर पारदर्शी थैली को एक सफेद कपड़ा की थैली में डालकर सीलमोहर किया जाकर पैकेट पर मार्क–ए अंकित किया गया। संदीप सिंह व सुरेश कुमार को जरिए पृथक–पृथक फर्द गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण द्वारा जैर सवारी प्रयुक्त वाहन स्विफ्ट कार को बतौर वजह सबूत जरिए फर्द जब्त किया गया। फर्द मूर्तिब की गई... इत्यादि। उक्त फर्द के आधार पर थाना पहुँचकर उक्तानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौराने अनुसंधान उक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका होने से प्रार्थी की ओर से अग्रिम जमानत का यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

03. बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने जमानत आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त न तो उक्त प्रकरण में आरोपी है और न ही नामजद है। मुख्य आरोपीगण की पूछताछ रिपोर्ट अंतर्गत धारा 67 एनडीपीएस एक्ट में भी प्रार्थी/अभियुक्त का नाम

नहीं आया है। प्रार्थी/अभियुक्त का मुख्य आरोपीगण से सीडीआर अथवा व्हाट्सएप चैट अथवा खातों से किसी प्रकार का लेन–देन भी नहीं हुआ है। बरामदगीस्थल पर प्रार्थी/अभियुक्त की कोई लोकेशन भी नहीं है। प्रकरण दर्ज होने के बाद 11 माह तक प्रार्थी/अभियुक्त को कभी बुलाया नहीं गया है। प्रार्थी /अभियुक्त जांच में हर प्रकार से सहयोग करने हेतु तैयार है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है व कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त 25 वर्षीय युवा है, जिसको गिरफ्तार करने से उसकी प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंचेगी। अंत में प्रार्थी को अग्रिम जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में सहअभियुक्तगण सुरेश व संदीप के चैतन्य कब्जे की कार नंबर आरजे 41 सीए 7172 में से 35 ग्राम (प्लास्टिक पारदर्शी थैली सहित) अवैध मादक पदार्थ स्मैक(चिट्टा) की बरामदगी हुई है, जो उन्हें प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विक्रय किया जाना पाया गया है, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है। अंत में गम्भीर प्रकृति का मामला होने के मद्देनजर प्रार्थी का अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

04. उभय पक्ष के परस्पर विरोधी तर्कों पर मनन करने के पश्चात् एवं केस डायरी के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट है कि सहअभियुक्तगण सुरेश व संदीप के चैतन्य कब्जे की कार नंबर आरजे 41 सीए 7172 में से 35 ग्राम (प्लास्टिक पारदर्शी थैली सहित) अवैध मादक पदार्थ स्मैक(चिट्टा) की बरामदगी हुई है, जो उन्हें प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा विक्रय किया जाना दौराने अनुसंधान प्रकट हुआ है, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है। इसके अतिरिक्त केस डायरी से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रकरण के सहअभियुक्तगण संदीप सिंह व मुकेश कुमार ने जिस व्यक्ति से स्मैक खरीदना बताया, उसके मोबाइल नंबर 9592713961 पर उनकी बात होना भी दौराने अनुसंधान प्रकट किया है। मादक पदार्थ स्मैक की सूक्ष्म मात्रा 05 ग्राम और वाणिज्यिक मात्रा 250 ग्राम है। एवं हस्तगत प्रकरण में सूक्ष्म मात्रा से अधिक मात्रा में स्मैक(चिट्टा) की बरामदगी हुई है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा **S.B. Criminal Misc.**

Bail Application no. 13513/2020 शीर्षक "Jugal v/s State of Rajasthan में पारित आदेश दिनांक 25.11.2020 की अनुपालना में अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का निम्न आपराधिक इतिहास होना प्रकट होता है:–

क्र.सं.	मुकदमा नंबर	पुलिस थाना	अंतर्गत धारा	नतीजा पुलिस	नतीजा न्यायालय
1	76/16.05.2023	गुरू हरसहाय जिला फिरोजपुर	323, 341, 506, 148, 149 IPC	अनुसंधान पैंडिंग	
2	104/13.06.2023	गुरू हरसहाय जिला फिरोजपुर	21 NDPS Act	अनुसंधान पैंडिंग	
3	124/22.05.2025	गुरू हरसहाय जिला फिरोजपुर	21, 61/85 NDPS Act	अनुसंधान पैंडिंग	
4	83/19.09.2019	गुरू हरसहाय जिला फिरोजपुर	306, 34 IPC, 66 IT Act	चालान 30.11.19	
5	120/20.05.2025	गुरू हरसहाय जिला फिरोजपुर	21, 61/85 NDPS Act	अनुसंधान पैंडिंग	

इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध इस प्रकरण के अलावा पूर्व में 05 आपराधिक प्रकरण दर्ज होना, जिसमें से 03 प्रकरण समान प्रकृति के दर्ज होना भी प्रकट होता है।

यहाँ यह भी तथ्य गौर किये जाने लायक है कि अग्रिम जमानत के प्रावधान अत्यंत सीमित प्रकृति के मामलों में लागू होते हैं। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक दृष्टांत **मध्यप्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा एआईआर 2014 एससी पेज 626** में विधिक स्थिति को इस प्रकार से स्पष्ट किया है कि:–

''Power in Sec. 438 Cr.P.C. is extra ordinary and it is to be exercised in exceptional cases. When it appears that the person may be falsely implicated.''

इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अग्रिम जमानत का लाभ तभी दिया जा सकता है जब अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या आलिप्त किये जाने जैसी आपवादिक परिस्थितियां

विद्यमान हों, परंतु हस्तगत प्रकरण में जहाँ ऐसी कोई भी आपवादिक परिस्थितियों की ओर अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ध्यान आकृष्ट करवाने में असफल रहे हैं, वहीं केस डायरी के अध्ययन से भी ऐसी परिस्थितियां प्रकट नहीं होती हैं। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करते हुए, प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितयों एवं अपराध की गभीरता के मद्देनजर प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि हस्तगत जमानत आवेदन में इस न्यायालय द्वारा प्रकट किया गया कोई भी मत प्रकरण के गुणावगुण पर कोई भी प्रभाव नहीं रखेगा।

05. फलतः प्रार्थी/अभियुक्त योगराज पुत्र कैलाशराम, निवासी गुरू हरसहाय, तहसील व जिला फिरोजपुर (पंजाब) की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता(BNSS) एतद्द्वारा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(मोहम्मद आसिफ अंसारी)

06. आदेश आज दिनांक 28.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद आसिफ अंसारी)

RAKESH KUMAR

Steno Gr. I "Authenticate document"
Digitally signed by RAKESH KUMAR
Date: 2026.04.02 10:04:59 +0530